निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 870) पटना वृहस्पतिवार 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०-19/2026-3362 वि०स०—''निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-24/2026]

निबंधन अधिनियम, 1908 (समय–समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित होगाः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवंप्रारंभ।–

(1) यह अधिनियम 'निबंधन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026' कहा जा सकेगा ।

(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) (ड़) के बाद 17 (1) (च) को निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगा–

''रूपान्तरण (सम्परिर्वतन) दस्तावेज–"रूपान्तरण (सम्परिर्वतन) दस्तावेज" का अभिप्रार्य है वैसे दस्तावेज़ जो कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में बदलने के मकसद से तैयार किया गया हो, जिसके द्वारा ऐसी भूमि का धारक या मालिक उसके भूमि–उपयोग के वर्गीकरण को कृषि से व्यावसायिक उपयोग में बदलना चाहता है ।''

उद्देश्य एवं हेतु

निबंधन विभाग का मुख्य कार्य राजस्व का संग्रहण करना है । राजस्व मुख्यतः भूमि का विक्रय पत्र, दानपत्र, विनिमय पत्र, विभाजन पत्र एवं बन्दोबस्ती विलेख पर प्रभार्य मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की वसूली कर प्राप्त की जाती है । राजस्व संग्रहण का भूमि की उपयोगिता से सीधा संबंध है। भूमि का स्वरुप उसकी उपयोगिता के अनुसार क्रमिक रुप से परिवर्तित होती रहती है, जो राजस्व संग्रहण को भी प्रभावित करती है । वर्तमान में निबंधन अधिनियम, 1908 में ''रूपान्तरण (सम्परिवर्तन) दस्तावेज'' का प्रावधान नहीं है ।

भूमि के उपयोग, प्रकृति अथवा श्रेणी में परिवर्तन से संबंधित मामलों में विधिक स्पष्टता, अभिलेखीय साक्ष्य तथा स्वामित्व संबंधी विवरणों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु ''रूपान्तरण (सम्परिवर्तन) दस्तावेज'' को निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से पंजीकरण योग्य दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है ।

अतः ''रूपान्तरण (सम्परिवर्तन) दस्तावेज'' को धारा 17 के अंतर्गत सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य भूमि से संबंधित परिवर्तन को विधिक मान्यता प्रदान करना, अभिलेखों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाना है ।

इसलिए निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) में (ड़) के बाद नया उप नियम (च) जोड़ा जाना अपेक्षित है ।

एतदर्थ निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन हेतु इस विधेयक में धारा 17 (1) में (ड़) के बाद नया उप नियम (च) द्वारा ''रूपान्तरण (सम्परिवर्तन) दस्तावेज'' को जोड़ा जाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

भार–साधक सदस्य,

पटना,
दिनांक–22.07.2026

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 870-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in